IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राव जोधा द्वारा सामंती व्यवस्था का पुनर्गठन

मंजू वर्मा
सह आचार्य इतिहास
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय
सीकर –332001

सारांशः– मारवाड़ के राज्य पर पुनः अधिकार करने के बाद जोधा ने "भाई–बांट" की नीति को जारी रखा। उसने अपने राज्य का अधिकांश भू भाग अपने 24 भाइयों और 14 पुत्र में विभाजित कर दिया। यहीं से मारवाड़ की सामंती व्यवस्था का नया स्वरूप अस्तित्व में आया। राव जोधा ने पहली बार दरबार में सामंतों के बैठने के स्थान निर्धारित किये। उसने अपने सामंतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जिन्हें क्रमशः डावी तथा जीवणी मिसल नाम दिया गया। जोधा के भाइयों पुत्रो एवं पोत्रों को वंशानुगत जागीरें प्रदान की गई। सामंत अपने आप को कुलीय संपति (राज्य का हिस्सेदार) मानते थे।शासक और सामंतों के मध्य भाईचारे के इस संबंध के कारण शासक की स्थिति 'बराबर' वालों में प्रथम के समान थी।

राव जोधा के पूर्व राज्य के प्रादेशिक विस्तार की प्रक्रिया में शासक के भाइयों और पुत्रों को उनके द्वारा विजित प्रदेशों पर उन्हें उन प्रदेशों का अधिकार देने की परिपाटी जारी रही थी। इन प्रदेशों को उनके "ठिकानों" के रूप में मान्यता दे दी गई थी । इस परिपाटी को "भाई बांट" कहा जाता था अर्थात एक ही कुल के सदस्य होने के नाते कुल के सहयोगात्मक प्रयास में उनका हिस्सा अथवा भागीदारी। कुल के यह सामंत यद्यपि राजा को अपने कुल का नेता मानते थे परंतु उसको अपना स्वामी नहीं अपितु बराबर वालों में प्रथम के समान मानते थे।[1] वे लोग घरेलू और राजनैतिक सभी मामलों में सामाजिक समानता का दावा करते थे। इस परिपाटी ने स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयों को उभरने तथा राठौड़ शासन के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। जब राव जोधा को अपना राज्य खोकर निर्वासित जीवन बिताना पड़ा, उस अवसर पर अनेक राठौड़ सरदारों ने उसे राव सीहा का उत्तराधिकारी मानते हुए भी उसे "भाई–बांट" के राजनैतिक तथा नैतिक आधार पर सैनिक सहयोग नहीं दिया।

फिर भी मारवाड़ के राज्य पर पुनः अधिकार करने के बाद जोधा ने "भाई–बांट" की नीति को जारी रखा। उसने अपने राज्य का अधिकांश भू भाग अपने 24 भाइयों और 14 पुत्र में विभाजित कर दिया। यहीं से मारवाड़ की सामंती व्यवस्था का नया स्वरूप अस्तित्व में आया। जोधा द्वारा अपने भाइयों और पुत्रों को प्रदत जागीरें नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है– [2]

जोधा के भाई

नाम	जागीर
अखैराज	बगड़ी
चांपा	कापरड़ा–बनाड़
डूंगर	भाद्राजून
बोला	खेरला साहली, खारड़ी
रूपा	चाड़ा
माडा	बीकानेर का सांदूड़ा
लूनावास	करण
पाता	कारन
बेरा	दूधबड़
खेतसी{जगमाल का लड़का)	नेतदिया (नेतड़ा)

जोधा के पुत्र

नाम	जागीर
सातल	फलौदी–पोकरण
बरसिंह और दूदा	मेड़ता
बीका बीदा	बीकानेर ओर छापर डोणपुर, लाडनूं
भारमल	कोडणा
शिवराज	सिवाना (बाद मे दूनाड़ा)
कर्मसी	नहादसरा
रायपाल	आसोप व खींवसर

उपरोक्त राठौड़ सरदारों और राजकुमारों ने न केवल नए क्षेत्र ही जीते अपितु अपने–अपने क्षेत्रों में अपने–अपने ठिकाने भी स्थापित किए। उदाहरणार्थ राव जोधा के एक पुत्र दूदा ने 1461 ईस्वी में अपने ही बलबूते पर मेड़ता और उसके आसपास के 140 गांवों जो कि दिल्ली सल्तनत के एक अधिकारी के नियंत्रण में थे, पर अपना अधिकार जमा लिया था।[3] जोधपुर के राठौड़ शासक ने दूदा को इन क्षेत्रों का पट्टा प्रदान कर उसे सम्मानित किया। उसके वंशज मेड़तिया कहलाये। इसी प्रकार राव सुजा के पांचवे पुत्र उदा ने सिंघलो से जैतारण का इलाका छीन लिया जिसे मारवाड़ के शासक ने उसकी जागीर मान लिया। उसके वंशज उदावत कहलाए।[4] जोधा के अन्य बंधुओं तथा पुत्रों से राठौड़ कुल की अन्य खांपो का उदय हुआ खानपुर का उदय हुआ। जोधा के भाई चांपा के वंशज चांपावत कहलाये। [5] अखेराज नामक एक अन्य भाई के पौत्र कूंपा के वंशज कूंपावत कहलाये।[6] यह सभी मारवाड़ के राठौड़ राज्य तथा राजवंश के आधार स्तंभ सिद्ध हुए।

राव जोधा के पूर्व दरबार में सामंतों के बैठने के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं थे। वे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी स्थान पर बैठ जाते थे। राव जोधा ने पहली बार दरबार में सामंतों के बैठने के स्थान निर्धारित किये। उसने अपने सामंतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जिन्हें क्रमशः डावी तथा जीवणी मिसल नाम दिया गया। जीवणी मिसल में उसने अपने भाइयों को रखा तथा दरबार में अपनी जीवणी (दाईं) तरफ बैठने का स्थान प्रदान किया। अपने पुत्रों को डावी (बायीं) तरफ बैठने का अधिकार दिया। राज्य के प्रथम सामंत अर्थात प्रधान की वंशानुगत पदवी चांपा को प्रदान की गई।

मारवाड़ के बड़े सामंत अपने शासक पर अत्यधिक प्रभाव रखते थे और समय के साथ–साथ वे अपनी–अपनी खांप की कनिष्ठ शाखाओं के लिए अतिरिक्त जागीरें प्राप्त करते रहे। जोधा के भाइयों पुत्रो एवं पोत्रों को वंशानुगत जागीरें प्रदान की गई। राज्य के प्रादेशिक विस्तार के साथ–साथ जागीरें देने की परिपाटी भी बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप मारवाड़ असंख्य जागीरो में विभाजित हो गया। कुलीय राज्य को अपने स्वबंधुओं एवं पुत्रों में विभाजित करने की जो परंपरा राव जोधा ने शुरू की थी, उसे राव मालदेव तक के शासकों ने जारी रखा। इनमें से अधिकांश जागीरो को उनके मालिकों ने अपने ही बाहुबल से अपने अधिकार में बनाए रखा था। अतः ऐसी जागीरें शासक द्वारा वापस नहीं ली जा सकती थी।

इस प्रकार मारवाड़ राज्य के संगठन में कुलीय भावना की प्रधानता थी। राज्य का स्वामी होने तथा कुल का नेता होने के कारण शासक का विशेष महत्व होता था।[7] उसके अधिकांश सामंत और अधिकारी उसी के वंश की विविध शाखाओं के मुखिया थे। राज्य की अधिकांश जागीरों पर राज्य कुल से संबंधित सामंतों का अधिकार था। वे अपने आप को शासक का सामंत मात्र ही नहीं अपितु शासक का सगोत्री बंधु और संबंधी भी समझते थे। सामंत अपने आप को कुलीय संपति (राज्य का हिस्सेदार) मानते थे। अन्य कुलों के सामंतों को अस्थाई तौर पर सेवार्थ जागीरें दी जाती थी।[8] राज्य के महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पदों पर भी सामान्यतः सगोत्री लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। एक ही कुल का सदस्य होने के कारण सामंत लोग शासक का नेतृत्व स्वीकार करने को हमेशा तत्पर रहते थे। शासक और सामंतों के मध्य भाईचारे के इस संबंध के कारण शासक की स्थिति 'बराबर' वालों में प्रथम के समान थी। शासन कार्य में सामान्यतः सामंतों की सलाह ली जाती थी। इस प्रकार सामंतों का राज्य में काफी प्रभाव था।

मारवाड़ में राज पद के लिए सामान्यतः ज्येष्ठाधिकार की परंपरा प्रचलित थी। परंतु यदि कुलीय सामंतों को ज्येष्ठ पुत्र की योग्यता और नेतृत्व क्षमता के प्रति संदेह पैदा होता तो वे भूतपूर्व शासक के किसी अन्य योग्य पुत्र को सिंहासन पर बैठा देते थे। उदाहरणार्थ 1383 ईस्वी में मारवाड़ के बीरमदेव के बाद सामंतों ने उसके बड़े पुत्र देवराज के स्थान पर छोटे पुत्र चूंडा को शासक बनाया था।[9]

इसी प्रकार राव जोधा के बाद जोगा के स्थान पर सातल को और राव सूजा के बाद बीरम के स्थान पर गांगा को सिंहासन पर बैठाया गया था ।[10] चूंकि शासक की योग्यता वीरता और नेतृत्व पर ही संपूर्ण राज्य की प्रतिष्ठा और उन्नति निर्भर थी इसलिए सामान्यतः योग्य व्यक्ति को ही शासक बनाया जाता था। इस प्रकार राज्य का स्वामी बनने के लिए ज्येष्ठ पुत्र होना ही पर्याप्त नहीं था; कुलीय सामंतों की स्वीकृति भी आवश्यक होती थी।

सन्दर्भ सूचीः–

1. डॉ. रामप्रसाद व्यास– राजस्थान का वृहत इतिहास, खंड 1, पृष्ठ 348
2. नैणसी–मारवाड़ रे परगना री विगत, भाग 1 पृष्ठ 38–40
   नैणसी–मारवाड़ रे परगना री विगत भाग 2 पृष्ठ 265–477
3. (क)डॉ.आर.पी. व्यास–रोल ऑफ नोबिलिटी इन मारवाड़ पृष्ठ 4
   (ख) एर्सकाईन–राजपूताना गजेटियर्स खंड 3, पृष्ठ 55
4. मुंशी हरदयाल–तारीख–जागीरदारान, पृष्ठ 13
5. मुंशी हरदयाल–तारीख–जागीरदारान, पृष्ठ 16
6. आसोपा– आसोप का इतिहास, पृष्ठ 16
7. डॉ.आर.पी. व्यास–रोल ऑफ नोबिलिटी इन मारवाड़ पृष्ठ 8
8. डॉ. कालूराम शर्मा 19वीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पृष्ठ 1
9. रेऊ–मारवाड़ का इतिहास खंड 1 पृष्ठ 58
10. आसोपा–राठौड़ों का इतिहास, पृष्ठ 29